बिहार सरकार
समाहरणालय सहरसा
(जिला राजस्व शाखा)
सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सहरसा जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों में पड़ने वाले निम्नांकित हाट/बाजार सैरातों की वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोबस्ती दिनांक 09.05.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्तंभ–06 में अंकित स्थान पर खुली डाक द्वारा की जाएगी। किसी अपरिहार्य कारणवश उक्त दिन डाक नहीं होने की स्थिति में दिनांक 10.05.2018 एवं 12.05.2018 को निर्धारित समय एवं स्थान पर खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बन्दोबस्त किये जाने वाले सैरातों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र० सं०	अंचल का नाम	सैरात का नाम	निर्धारित सुरक्षित जमा की राशि (वर्ष 2018–19)	जमानत की राशि (10 प्रतिशत)	सैरात बन्दोबस्ती का स्थान
1	2	3	4	5	6
(खंड क) समाहर्त्ता स्तर					
1	सोनवर्षा	सोनवर्षा हाट	230128.00	23013.00	समाहर्त्ता, सहरसा का कार्यालय वेश्म
2	सौरबाजार	गुदरी हाट	322000.00	32200.00	
3	सिमरी बख्तियारपुर	सिटानाबाद हाट	215855.00	21586.00	
(खंड ख) अपर समाहर्त्ता स्तर					
4	सहरसा (कहरा)	बरियाही हाट	130795.00	13080.00	अपर समाहर्त्ता, सहरसा का कार्यालय वेश्म
5	सौरबाजार	राजस्व हाट	167670.00	16767.00	
6	सोनवर्षा	गढ़ बाजार हाट	121325.00	12133.00	
7	सोनवर्षा	डेली फिसरीज	114483.00	11448.00	
(खंड ग) अनुमंडल स्तर					
8	महिषी	राजनपुर हाट	98900.00	9890.00	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा का कार्यालय वेश्म
9	पतरघट	पतरघट हाट	94070.00	9407.00	
10	सोनवर्षा	महुआ बाजार हाट	88090.00	8809.00	
11	सत्तर कटैया	पटोरी हाट	72450.00	7245.00	
12	सोनवर्षा	बिन्द टोली हाट	66815.00	6682.00	
13	सोनवर्षा	काशनगर हाट	75900.00	7590.00	
14	सौरबाजार	बैजनाथपुर हाट	60174.00	6017.00	
15	सौरबाजार	कचरा राजस्व हाट	51923.00	5192.00	
16	सिमरी बख्तियारपुर	सिटानाबाद मेला गुदरी हाट	66701.00	6670.00	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर का कार्यालय वेश्म

डाक की शर्त्तें

1. डाक प्रारंभ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत अग्रधन के रूप में यथा स्थिति जिला नजारत/अनुमंडल नजारत में जमा करना होगा।
2. बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि डाक समाप्ति के तुरंत बाद एक मुश्त राशि जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जप्त कर लिया जाएगा।

4. यदि पूर्व के बन्दोबस्तदार डाक में भाग लेते हैं तो पूर्व का बकाया रहित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर डाक के समय समर्पित करना होगा।
5. विहित प्रपत्र में उच्चतम डाक वक्ता को परवाना निर्गत किये जाने से पूर्व एकरारनामा का निबंधन (निबंधन शुल्क 5 प्रतिशत एवं स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत) अपने व्यय पर कराना आवश्यक होगा। तत्पश्चात ही सैरात से हाल वसूली का अधिकार उच्चतम डाक वक्ता को दिया जायगा।
6. उपरोक्त वर्णित सैरातों की बन्दोबस्ती बिना कारण बताए स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. विशेष जानकारी के लिए जिला राजस्व शाखा, सहरसा/सम्बन्धित अंचल कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
8. उच्चतम डाक वक्ता को सैरात की साफ–सफाई इत्यादि की व्यवस्था अपने स्तर करनी होगी तथा सैरात की जमीन पर किसी प्रकार की स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा।
9. उच्चतम डाक वक्ता को हाट की वसूली निर्धारित दर पर करनी होगी तथा वसूली दर की तालिका सैरात में प्रदर्शित करनी होगी। साथ ही, सैरात की वृक्षों की सुरक्षा की जबाबदेही भी उच्चतम डाक वक्ता की ही होगी।

ह0/–
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 298-2 /रा०, सहरसा, दिनांक 12/4/2018

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं निदेश है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे।

प्रतिलिपि: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित एवं सभी ग्राम पंचायत सचिव/मुखिया/प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्यों को इसकी सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा/सिमरीबख्तियारपुर/भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित तथा **खंड (ग)** में अंकित सैरातों की बन्दोबस्ती संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि खंड (ख) में अंकित सैरातों की बन्दोबस्ती की कार्रवाई अपने स्तर से पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद–सह–उप विकास आयुक्त, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस सैरात बंदोबस्ती कार्यक्रम की सूचना जिला परिषद के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित कराई जाय।

प्रतिलिपि : जिला नजारत उप समाहर्त्ता, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : तकनीकी निदेशक–सह–जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना से सम्पर्क कर बन्दोबस्ती की तिथि से कम से एक सप्ताह पूर्व इस सैरात बन्दोबस्ती की सूचना को तीन स्थानीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनश्चित करेंगे। इस हेतु सी0 डी0 एवं सैरात बन्दोबस्ती की सूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ विभागीय प्रपत्र के साथ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जाती है। निदेश दिया जाता है कि प्रकाशित सूचना के प्रेस कतरण की प्रति जिला राजस्व शाखा, सहरसा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

समाहर्त्ता,
सहरसा।